



उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक—टीएस—सीसीटीएनएस—06 / 2010—12
सेवा में,

दिनांक: दिसम्बर 18, 2018

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।

समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।

विषय:—सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित होने वाले एक थाने से दूसरे थाने को स्थानान्तरित विवेचना के निस्तारण हेतु निर्देश विषयक।

सन्दर्भ:—समांक पत्र दिनांक नवम्बर 20, 2018

ज्ञातव्य है कि एक थाने से दूसरे थाने को स्थानान्तरित विवेचना सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित हो रही हैं। जिसके सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों / राजकीय रेलवे पुलिस की समीक्षा की गयी। समीक्षा में प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जो अभियोग उत्तर प्रदेश के किसी थाने से उसी जनपद के अन्य थाने या अन्य जनपद के अन्य थाने या दूसरे प्रदेश के अन्य थाने पर स्थानान्तरित हो जाते हैं उनके निस्तारण समुचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त पत्र का अवलोकन करें।

2. जिन अभियोगों को कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के (CAS) ऑन—लाइन माड्यूल में एक थाना से दूसरे थाने में स्थानान्तरित कर दिया जाता है और दूसरे थाने द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है वह प्रथम पंजीकृत थाने से स्थानान्तरण के उपरान्त उस थाने पर लम्बित प्रदर्शित नहीं होते हैं और न ही प्रथम थाने द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त उस अभियोग पर कोई कार्यवाही कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) में की जा सकती है।

3. इसके अतिरिक्त कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के (CAS) के ऑफ—लाइन मॉड्यूल में एक थाना से दूसरे थाने घटनास्थल अन्य होने के कारण अभियोग के स्थानान्तरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायः—

जिस थाने को अभियोग स्थानान्तरित हुआ है और उस थाने द्वारा उक्त अभियोग को पंजीकृत कर लिया गया है। ऐसी रिथति में जिस थाने में अभियोग बाद में पंजीकृत किया गया उस थाने पर दर्ज किये गये उक्त अभियोग का काइम नम्बर, धारा, थाना, जनपद एवं राज्य का नाम तथा पंजीकरण की तिथि की सूचना प्राप्त कर ली जाय। अभियोग स्थानान्तरित करने वाले पूर्व के थाने जहाँ का घटनारथल नहीं है, विवेचना में उक्त तथ्यों को उल्लिखित करते हुए जुर्म खारिजा अन्तिम रिपोर्ट सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड कर दें।

4. उपरोक्त प्रक्रिया सभी ऐसे विवेचनाधीन अभियोगों में सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित विवेचनायें अद्यावधिक हो सकें। उ० प्र० राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा इसमें विशेष रुचि लिये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकरण की अपेक्षित प्रगति एवं अनुपालन आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

df 18/12

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री सुमित गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर (एस०आई०), मेसर्स एन०आई०आई०टी० टेक्नालॉजी लिमिटेड, लखनऊ।
2. समर्त, प्रोग्रामर ग्रेड-2, उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
3. श्री दिविजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए), उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समर्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
4. प्रभारी इमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

18-19-18



उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक—टीएस—सीसीटीएनएस—06 / 2010—12
सेवा गें,

दिनांक: नवम्बर 20, 2018

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।

समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड—ए) उत्तर प्रदेश।

विषय:—सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित होने वाले एक थाने से दूसरे थाने को स्थानान्तरित विवेचना के निस्तारण हेतु निर्देश विषयक।

ज्ञातव्य है कि एक थाने से दूसरे थाने को स्थानान्तरित विवेचना सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित हो रही हैं। जिसके सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों / राजकीय रेलवे पुलिस की समीक्षा की गयी। समीक्षा में प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जो अभियोग उत्तर प्रदेश के किसी थाने से उसी जनपद के अन्य थाने या अन्य जनपद के अन्य थाने या दूसरे प्रदेश के अन्य थाने पर स्थानान्तरित हो जाते हैं उनके निस्तारण समुचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

2. जिन अभियोगों को कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के (CAS) ऑन—लाइन मॉड्यूल में एक थाना से दूसरे थाने में स्थानान्तरित कर दिया जाता है और दूसरे थाने द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है वह प्रथम पंजीकृत थाने से स्थानान्तरण के उपरान्त उस थाने पर लम्बित प्रदर्शित नहीं होते हैं और न ही प्रथम थाने द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त उस अभियोग पर कोई कार्यवाही कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) में की जा सकती है।

3. इसके अतिरिक्त कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के (CAS) के ऑफ—लाइन मॉड्यूल में एक थाना से दूसरे थाने घटनारथल अन्य होने के कारण अभियोग के स्थानान्तरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये—

जिस थाने को अभियोग स्थानान्तरित हुआ है और उस थाने द्वारा उक्त अभियोग को पंजीकृत कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में जिस थाने में अभियोग बाद में पंजीकृत किया गया उस थाने पर दर्ज किये गये उक्त अभियोग का काइम नम्बर, धारा, थाना, जनपद एवं राज्य का नाम तथा पंजीकरण की तिथि की सूचना प्राप्त कर ली जाय। अभियोग स्थानान्तरित करने वाले पूर्व के थाने जहाँ का घटनारथल नहीं है, विवेचना में उक्त तथ्यों को उल्लिखित करते हुए जुर्म खारिजा अन्तिम रिपोर्ट सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड कर दें।

4. उपरोक्त प्रक्रिया सभी ऐसे विवेचनाधीन अगियोगों में रार्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे सीसीटीएनएस पोर्टल पर लग्भित विवेचनायें अद्यावधिक हो सकें। ७० प्र० राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा इसमें विशेष रुचि लिये जाने की आवश्यकता है।

८०/११

(आशुतोष पाण्डेय)

अपर पुलिस महानिदेशक,

उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. श्री सुमित गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर (एस०आई०), मेसर्स एन०आई०आई०टी० टेक्नालॉजी लिमिटेड, लखनऊ।
२. समर्त, प्रोग्रामर ग्रेड-२, उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
३. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए), उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समर्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
४. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।